हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय ,अनसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0

द्वारा

संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों

का

''सार–संग्रह''

2021

प्राक्कथन

प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत गठित निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, समाज के कमजोर वर्गो, अनुसूचित–जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों तथा वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण एवं उत्थान हेतु अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त इन वर्गो को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु अनेक अधिनियमों का कार्यान्वयन करके उन्हें सशक्त एवं जागरूक बनाने के लिए भी तत्पर है। इसी दिशा में विभागीय योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने, उनका प्रचार एवं प्रसार करने तथा विभागीय कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इसका प्रकाशन एक ''सार–संग्रह'' के रूप में किया गया है जिससे विभिन्न वर्गो से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का विवरण एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि योजनाओं का यह सार–संग्रह समाज के सभी वर्गो के लिए न केवल सूचनाप्रद होगा बल्कि पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुॅचाने में भी सार्थक सिद्ध होगा।

(संजय गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशासनिक संरचना

सचिवालय स्तर

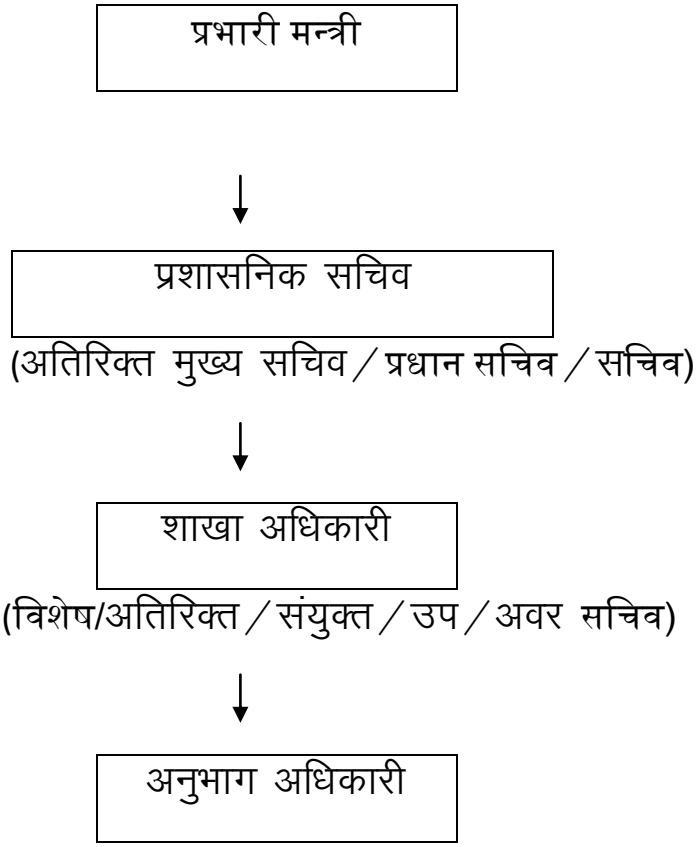

निदेशालय स्तर

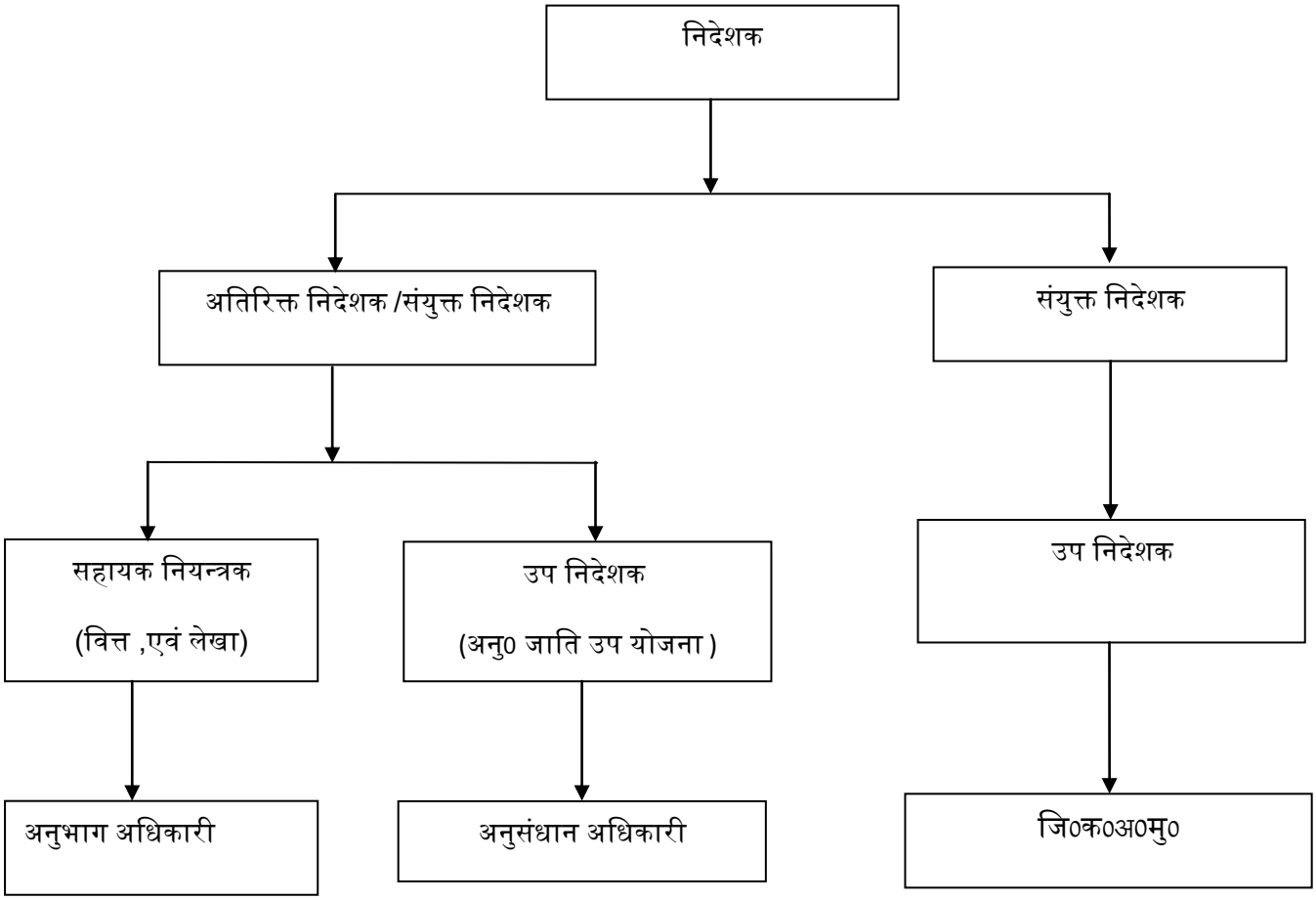

जिला स्तर

जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी

तहसील स्तर

तहसील कल्याण अधिकारी

विषय–सूची

भाग –1

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं विशेष रूप से सक्षम हेतु योजनाएं **(क) राज्य योजनाएं**	पृष्ठ सं0
1. मकान निर्माण हेतु अनुदान	1
2. अनुवर्ती कार्यक्रम	1-2
3. अनु0 जाति/जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग व अल्प संख्यकों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय क्रिया कलापों में प्रशिक्षण एंव दक्षता योजना।	2-3
4. अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार	3
5. अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति के व्यक्तियों को राहत	3
6. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति /जन जाति विकास निगम की योजनाएं	4-6
7. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं	6-7
8. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं	7
9. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग	8
10. प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता	9
11. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	9
12 अनुसूचित जाति उप योजना	10-14
(ख) केन्द्रीय योजनाएं	
1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	14-15
2. छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना	15-16
3. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना	16-17
4. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना	17
5. डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाए	18-19
6. स्वयं सेवी संस्थाओ को अनुदान योजना	20-21
7. अल्प संख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए अनुशिक्षण एंव सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना	21
8. अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु मैरिट कम मीन्ज़ बेसड छात्रवृति योजना	22
9. अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना	23
10. अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना	24
11. मौलाना आजाद शिक्षा फाऊंडेशन	25
12. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना	25-26

भाग–2

.

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाएं	
(क) राज्य योजनाऐं	
1.वृद्धावस्था पैंशन योजना	27
2. अपंग राहत भत्ता	28
3.विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना	29
4.कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता	29-30
5. ट्रांसजैण्डर पैंशन योजना	30
(ख) केन्द्रीय योजनाऐं	
1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना	31
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पैंशन योजना	32
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना	32-33

भाग–3

विकलांगजनों के लिए योजनाएं	
क) <u>विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना 'असीम'</u>	
1. सर्वेक्षण, शीघ्र पहचान एंव अनुसधांन	34
2. जागरूकता अभियान	35
3. विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृतिं	35-36
4. विकलांगों को विवाह अनुदान	36
5. स्वः रोजगार	37
6. विकलांग बच्चों के विशेष गृह/स्कूल	37
7. पुरस्कार योजना	38
8. विकलांगता पहचान पत्र	38-39
9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	39
10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम	40
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	
1. सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लगवाने व खरीदने हेतु सहायता	40-41
2. दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना	41
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र	42
4. विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)	42-43
5. जिला विकलांगता पुर्नवास केन्द्र	43-44

भाग–4

वृद्धजनों के कल्याण हेतु योजनाएं	
(क) राज्य योजनाएं	
1. वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र	45
2. वृद्धों के लिए एकीकृत योजना	45-46
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	
1. समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम	46
2. अन्नपूर्णा योजना	47

भाग–5

अन्य कल्याण योजनाएं	
(क) राज्य योजनाएं	
1. स्वयं सेवी सस्थाओं को अनुदान योजना	48
2. सुनिश्चित रोजगार के लिये योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना	49
(ख) केन्द्रीय योजनाएं	
1. मादक द्रव्य तथा नशा निवारण के लिये योजना	50
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम	50

भाग–6

विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/ राज्य अधिनियम, कल्याण संस्थान, कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं नीतियां तथा दूरभाष नम्बर	
1. विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/राज्य अधिनियम	51
2. विभाग से सम्बन्धित कल्याण संस्थानों की सूची	51
3. विभाग से सम्बन्धित कल्याण बोर्ड	52
4. विभिन्न कल्याण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार	52
5. विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियां	52
6. दूरभाष सम्पर्क	53-54

*****

भाग—1

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं विशेष रूप से सक्षम हेतु योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

(1) स्वर्ण जयंती आश्रय योजना

Swaran Jayanti Ashray Yojna

उद्देश्य मकान निर्माण/मुरम्मत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।

सहायता

- नये मकान निर्माण के लिए 1,50000/—रू0

पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन—जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000/— रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है व ग्राम सभा का प्रस्ताव।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी

(2) अनुवर्ती कार्यक्रम

Follow-up-Programme

उद्देश्य आजीविका कमाने हेतु सिलाई मशीन एवं औज़ार उपलब्ध करवाना।

पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिन्होने सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानो अथवा स्वंय सेवी संस्थाओ द्वारा संचालित केन्द्रो में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय मे निपुण हो लेकिन किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तथा वार्षिक आय 35,000/—रू0 से अधिक न हो।

सहायता बढ़ई कार्य, कताई व बुनाई कार्य तथा चमड़ा कार्य के लिए 1300/–रू0 व सिलाई मशीन खरीदने हेतु 1800/– रू0 का अनुदान दिया जाता है ।

प्रकिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है जिसके साथ हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो तथा सम्बन्धित संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।

(3) अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/एकल नारी/विधवा एवं विशेष रूप से सक्षम, से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय कियाकलापो में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना .

Training and Proficiency in Computer Applications & allied activities to the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and Minorities /Single Woman/Widow & Person with Disabilities.

उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक,विशेष रूप से सक्षम,विधवा,एकल नारी से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्ष की अवधि के कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय कियाकलापो में प्रशिक्षण दिलाना ताकि वे सरकारी/निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु सक्षम बन सकें।

पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यको से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हो। बी0पी0एल0 के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में वे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/– रूपये से कम हो पात्र होंगे।

सहायता

- प्रशिक्षण फीस 1350/– रू0 प्रति माह तक(1500/– रू0 (विशेष रूप से सक्षम के लिये)
- प्रशिक्षण के दौरान 1000/– रू0 प्रतिमाह छात्रवृति (विशेष रूप से सक्षम के लिए 1200/– रू0 प्रति माह)
- प्रशिक्षण उपरान्त 6 माह तक दक्षता अवधि के दौरान 1500/– रू0 प्रति माह छात्रवृति (विशेष रूप से सक्षम के लिये 1800/– प्रति माह)

प्रकिया समाचार पत्रों में विज्ञापन के 30 दिनो के भीतर उम्मीदवार को सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।

(4) अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार

Award for Inter-Caste Marriage

उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्वेश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है।

सहायता अन्य जातियों के युवक/युवती को अनुसूचित जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करने पर 50,000/–रू0 अथवा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृत की जाएगी ।

पात्रता अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों के निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगेः–

- प्रार्थी हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो।
- दम्पति की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।
- विवाह उचित अधिनियम/नियम के अर्न्तगत पंजीकृत हुआ हो।
- प्रार्थी द्वारा इससे पहले अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त न किया हो।

प्रकिया इस योजना के अर्न्तगत पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए प्रात्र दम्पति को निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना ।

- दम्पति का आयु प्रमाण–प्रत्र।
- दम्पति को जाति प्रमाण पत्र ।
- हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हुआ हो।
- विवाह पंजीकरण अधिकारी से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- दम्पति को फोटो।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

(5) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत .

Compensation to victims of atrocities belonging to SCs/STs

उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 3 के अन्तर्गत जाति भेदभाव के कारण पुलिस मे दर्ज मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि प्रदान करना।

पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जो जातीय भेदभाव के कारण अत्याचार से पीड़ित हों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 के अन्तर्गत पुलिस में मामला दर्ज हो।

सहायता 85,000/—रू0 से लेकर 8,25,000/— रू0 तक

प्रक्रिया घटना के तुरन्त बाद प्रभावित/पीड़ित व्यक्ति को किसी भी पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस से प्रथम सूचना रिर्पोट प्राप्त होने पर राहत राशि दी जाती है ।

सम्पर्क अधिकारी सम्बधित उपायुक्त/उप मण्डल दण्डाधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी ।

(6) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम की योजनाएं .

Schemes of H.P. Scheduled Castes / Scheduled Tribes Development Corporation

उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके कारोबार को बढ़ाने तथा अन्य स्वयं रोजगार धन्धे स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण तथा ऋण उपलब्ध करवाना।

ऋण योजनाएं

(i) स्वयं रोजगार योजना

18 से 55 बर्ष की आयु वर्ष के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे

परिवार जिनकी की वार्षिक आय 35,000/– रू0 तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 35,000/– रू0 से कम हो, को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर ऋृण बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते है: –

- 50,000/– रू0 तक की परियोजनाओं जैसे डेरी फार्मिंग, कृषि उपकरण , लघु सिंचाई, रेडिमेड गार्मेन्टस, शू मेकिंग इत्यादि, को बैकों के माध्यम से 4 प्रतिशत व्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
- इस के अतिरिक्त परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/– रू0 प्रति परिवार पूंजी अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

(ii) **<u>हिम स्वावलम्बन योजना</u>**

- इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/–रू0 से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 98,000/–रू0 से अधिक न हो को निम्नलिखित दरों पर ऋृण उपलब्ध करवाए जाते हैं : –
- 5.00 लाख रू0 तक की परियोजनाऐं स्थापित कर बड़े रोजगार धन्धे चलाने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास निगम के माध्यम से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर।
- 5.00 लाख से 30.00 लाख रू0 की परियोजनाओं हेतु 8 प्रतिशत ब्याज दर पर।

(iii) **<u>ब्याज मुक्त ऋण</u>**

अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र एवं छात्राओं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/–रू0 से अधिक न हो, को मैट्रिक के बाद व्यवसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स जैसे जे0 बी0 टी0 , नर्सिग , होटल मैनेजमैंट , एम0 बी0 ए0 , एम0 बी0 बी0 एस0, इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 हेतु अधिकतम 75,000/– रू0 ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है ।

(iv) **<u>दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>**

अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं जिनकी वार्षिक आय 22,000/–रू0 से कम हो, को शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को 500/– रू0 प्रति माह अपने जिले में तथा 750/– रू0 प्रति माह जिले से बाहर प्रशिक्षण लेने के दौरान वजीफा दिया जाता है।

(v) **<u>हस्तशिल्प विकास योजना</u>**

परम्परागत व्यवसायों जैसे शाल बुनाई, शू मैकिंग छाज बनाना इत्यादि में लगे कारीगरों को व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने संगठन/सस्थाएं बना कर 15000/–रू0 प्रति कारीगर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है।

(vi) **<u>लघु विक्रय केन्द्र (शाप/शैड)</u>**

शाप/शैड के निर्माण हेतु स्थानीय स्वायतशासी निकायों , नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतो को 50,000/– रू0 तथा दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों के लिए 60,000/–रू0 प्रति दुकान निर्माण हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम ऋण उपलब्ध करवाता है। यह दुकाने रियायती किराया दरों पर अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के परिवारों को आबंटित की जाती है।

(vii) **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना**

सफाई कर्मचारियों को परिवहन क्षेत्र जैसे मारूति वैन , महिन्द्रा जीप, इत्यादि खरीदने हेतु 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत तथा 5.00 लाख रू0 से अधिक 8 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपरोक्त निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया हो, सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम सोलन, सम्बन्धित निगम के जिला के जिला प्रबन्धक।

(7) हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं

Schemes of H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation

उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिसूचित पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना ।

पात्रता 18 से 55 वर्ष के आयु के पिछड़े वर्गो के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 98,000/–तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/–रू0 से कम हो ।

सहायता

- कृषि, दस्तकारी, पैतृक व्यवसाय, लघु तथा कुटीर उद्योग , परिवहन सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 50,000/–रू0 से 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज की दर से तथा 5,00 लाख रू0 से ऊपर पर 7 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- स्वर्णिमा योजना के तहत पिछडे वर्गो की गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को स्वंय रोजगार हेतु 5 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
- उच्च शिक्षा हेतु 75,000/– रू तक ब्याज मुक्त ऋण ऐसे छात्र/छात्राओं, जिन के परिवार की वार्षिक आय 98,000/– रू0 से कम हो, को उपलब्ध

करवाए जाते है ।

- तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु 5.00 लाख रू तक लड़कों के लिये ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर और लड़कियों के लिये 350 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते है ।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा /सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी ।

(8) हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाए

Schemes of H.P. Minorities Finance & Development Corporation

उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प–संख्यक वर्ग के लोगों का सामाजिक , शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

पात्रता 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति (सिख , मुस्लिम , ईसाइ , बौद्ध, जैन व पारसी) जिनकी वार्षिक आय 98.000/– रू0 (ग्रामीण क्षेत्र) तथा 1.20.000/–रू0 (शहरी क्षेत्र) से कम हो।

सहायता 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण दिये जाते है।

व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसेः– जे0 बी0 टी0, नर्सिग, होटल मैनेजमैंट, एम0बी0 ए0, एम0 बी0 बी0 एस0, इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 इत्यादि हेतु ऋण 10,00 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जाते है। आवेदक की आयु 16 वर्ष से 32 बर्ष के मध्य होनी चाहिए।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक , हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला / सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी ।

(9) हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

H.P. Backward Classes Commission

मुख्य कार्य

- किसी श्रेणी अथवा जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की सूचि में शामिल करने हेतु मामलो का परिक्षाण करके राज्य सरकार को सिफारिश करना ।
- पिछडे वर्गो की सूचि में किसी जाति /वर्ग को हटाने बारे शिकायते सुनना।
- सर्वोच्च न्यायलय की सी0 डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 930 ऑफ 1990 के निर्णय से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना।

सम्पर्क अधिकारी विशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शिमला –09

(10) **प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता**

(Civil Services Coaching Assistance)

उद्देश्य हिमाचल के स्थाई छात्र / छात्राओं के लिये प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता प्रदान करना।

पात्रता हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्र/ छात्रा जिसने प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

सहायता मु0 30 हजार रूपये की सहायता राशि केवल एक बार प्रदान की जाती है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश।

(11)

मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)

(Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojna)

उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकतम जनसंख्या वाले चयनित गांवों में एकीकृत विकास सुनिश्चित करके आदर्श गांव बनाना।

पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति के 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशतता वाले गांव, यह योजना प्रदेश के दस जिलों की 56 चुनाव क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

सहायता चयनित गांवो में वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं को तीन वर्ष में पूरा किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक चयनित गांव के एकीकृत विकास के लिए 10.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में धनराशि अनु0 जाति उपयोजना एवं अनु0 जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी।

(12) अनुसूचित जाति उप योजना

Scheduled Castes Sub Plan

अनुसूचित जाति उप योजना हेतु कुल राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत चिन्हांकित किया जाता है जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातानुसार है। इस योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण को अनुसूचित जाति उप योजना के तहत आने वाले विभिन्न विभागों का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है ।

उद्देश्य अनुसूचित जाति के समुदाय के लिये व्यक्तिगत / परिवार लाभार्थी योजनाओं, आधारभूत विकास विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक , सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके करके सामाजिक न्याय दिलाना।

सहायता राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति उप योजना के लिये राज्य सरक विभिन्न विभागों को आबंटित करके विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवा जाता है ।अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत विभिन विभागों की चिन्हित योजनाओं का कार्यान्वयन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

कार्यान्वयन विभाग इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों के माध्यम से किया जा रहा है जिनमें मुख्यतः लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिम ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, परिवहन , शिक्षा,स्वास्थ्य, शहरी विकास, बाल एवं महिला कल्याण,अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति/ जन जाति विकास निगम, , हथकरघा विकास निगम , सम्मिलित है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण / उपायुक्त / जिला कल्याण अधिकारी / सम्बन्धित विभागों के विभागाघ्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी।

कार्यक्रमों का संचालन इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत / परिवार मूलक लाभार्थी योजनाओं में अनुसूचित जाति , के समुदाय का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने, निरक्षरता को दूर करना व साक्षरता में बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाकर शिक्षित बेराजगार युवाओं को स्वयं रोजगार

स्थापित करवाना, अस्वच्छ कार्य में कार्यरत व्यक्तियों को मुक्ति दिलवाकर उन्हें पुनर्वासित करना इत्यादि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो या ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति के कम से कम 90 व्यक्ति निवास कर रहे हो, के विकास के लिये आधारभूत विकासात्मक योजनाएं जैसे विद्युतिकरण, पेयजल,स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों को खोलना एवं भवन निर्माण, सम्पर्क सड़क निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण एवं भू–संरक्षण, लघु सिंचाई–योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन करना। अतः विभिन्न विभागों द्वारा मूलतः 2 प्रकार की स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं–(1) आधारभूत विकास योजनाऐं (2) व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाऐं, जिनका विभागावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1. **कृषि विभागः–** सामान्य प्रसार योजना, चाय उत्पादन, उन्नत बीज वितरण, कृषि के लिये मैंक्रो मैनेजमैंट, उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, भू विज्ञान, ओरगेनिक फारमिंग , कृषि उपकरण एवं मशीनरी वितरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अदरक का विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, उठाऊ सिचांई योजनाओं एवं बोरवैल हेतु अनुदान, कृषि विविधिकरण योजना।
2. **उद्यान विभागः–** :–खुम्ब विकास परियोजना, पुष्प उत्पादन, उद्यान प्रसार कार्यक्रम, मधुमक्खी पालन, फल विधायन, सरकारी नर्सरियों तथा बागीचों का रखरखाव, फलोद्यान तथा पौधशालाऐं (पौधशाला पौध उत्पादन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेब एवं आम हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ,सेब एवं आम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना ।
3. **भू–संरक्षण (कृषि)**–: लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता, लघु किसान उत्पादक, एजैसी (आर आई डी एफ), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , पोली हाउस एवं लघु सिंचाई परियोजना , राजीव गांधी लघु सिंचाई योजना / **वनः–**पौध रोपण, भू – संरक्षण तथा प्रदर्शन ।
4. **पशु पालन विभाग–:** पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीमन प्रयोगशालाओं की स्थापना, पशु प्रजनन फार्म , पूजींगत परिव्यय , चारा विकास, केन्द्रीय एवं जिला कुक्कुट फार्म, भेंड़ प्रजनन फार्म , पशु पंजीकरण पर व्यय, राज्य में पशु बिमारियों की रोकथाम हेतु सहायता, पशु कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ।
5. **दुग्ध विकास निगम :–** हि0प्र0 दुग्ध महासंघ को सहायता अनुदान ।
6. **मत्स्य विभागः–** क्रीडा मत्स्य पालन प्रबन्ध एवं विकास , कार्प फार्म, मत्स्य पालन हेतु सामुदायिक तालाबों का निर्माण, मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना ।

7. **वन विभागः–** वन आवरण में सुधार , मिड हिमालयन परियोजना, इकों, क्लाईमेटिक परूफिंग प्रोजेक्ट , राष्ट्रीय बम्बू मिशन व वाईल्ड लाईफः– राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारणो का विकास।

8. **विपणन एवं गुण नियन्त्रणः–** बागवानीः–मण्डी मध्यस्थ योजना, कार्टन सबसिडी ।

9. **सहकारिता विभागः–**ऋण सहकारी सभायें, उपभोक्ता सहकारी सभाऐं, औद्योगिक सहकारी सभाऐं ।

10. **ग्रामीण विकास विभागः–** राष्ट्रीय, ग्रामीण आजीविका अभियान, प्रधानमन्त्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, महिला प्रोत्साहन योजना, समेकित वाटर शैड प्रबन्धन योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, राज्य पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आजीविका कौशल ।

11. **हिमऊर्जा–:** आई. आर. ई.पी. (एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम), सोलर लाईट का वितरण।

12. **पंचायतः–** ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिये सहायता अनुदान, पंचायतीराज के भवनों का निर्माण, पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु राज्य भाग।

13. **सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्यः–** ऊर्जा पर व्यय, एआईबीपी के अन्तर्गत ऊठाऊ सिंचाई योजना व बहाव सिंचाई योजना, नलकूप, प्रत्येक जिले में बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल योजनायें।

14. **उद्योगः–** हथकरघा बुनकरों के लिये वर्क शैड कम हाऊसिंग सहायता अनुदान, रेशम उद्योग का विकास, जिला उद्योग केन्द्र, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमाचली उत्पाद योजना, खाद्य प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग हेतु राष्ट्रीय मिशन, बी.बी. एन.डी.ए. हेतु अनुदान, राज्य के कला औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ।

15. **लोक निर्माण विभाग (सड़कें और पुल):–**नाबार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़के, अनकनेक्टिड पंचायतों को लिंक रोड से उच्च मार्गों के साथ जोड़ना, राज्य उच्च मार्ग, सड़कों के साथ वन के कटने पर उनके संरक्षण हेतु मुआवजा , सड़कों का रखरखाव ,प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ,पुलों का निर्माण।

16. **उर्जाः–**हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत निगम ,ट्रासंमिशन निगम लिमिटिड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ,लिमिटिड में इक्विटि कन्ट्रीब्युशन , हि0प्र0, विद्युत निगम, ट्रासंमिशन निगम को ऋण ।

17. **परिवहन** :– हिमाचल सड़क परिवहन निगम में निवेश, RTO भवन निर्माण, उपमण्डल एवं ब्लाक स्तर पर बस अड्डे का निर्माण।

18. **शिक्षा विभागः–**

I. **प्राथमिक शिक्षाः–** प्राथमिकता शिक्षा स्कूलों पर व्यय, मुफ्त लेखन सामग्री, प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफत वर्दी, सामग्री एवं संभरण, प्राथमिक स्कूलों के मूलभूत सुधार पर खर्च, प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठय पुस्तकों हेतू व्यय, मिड डे मील।

II. **माध्यमिक शिक्षाः–** माध्यमिक स्कूलों पर व्यय, भवन निर्माण, मुरम्मत एवं रख रखाव, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत योजना, महात्मा गांधी वर्दी योजना, अध्यापक एवं अभिभावक संघ को सहायता अनुदान, स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) को सहायता अनुदान, खेल से स्वास्थ्य योजना व वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण।

III. **उच्च शिक्षा :–** उच्च पाठशालाओं पर व्यय, भवन निर्माण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजीव गांधी डिजिटल योजना, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उच्च शिक्षा व्यवसायिकरण योजना, महात्मा गांधी वर्दी योजना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर व्यय, खेल से स्वास्थ्य योजना व सी0वी0 रमण वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण।

IV. **उच्चतर शिक्षाः–** भवन निर्माण पर व्यय, हि0 प्र0 विश्वविद्यालय एवं निजी कालेज को सहायता अनुदान, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।

V. **तकनीकी शिक्षाः–**तकनीकी शिक्षा पर व्यय,व्यवसायिक शिक्षा पर व्यय, आई. टी. आई. एवं पौलटैकनिक भवनो का निर्माण।

19. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :–** स्टेट वाईड एडसैट नेटवर्क की स्थापना, जल प्रबन्धन, मानव संसाधनो को सुदृढ़ करना, ग्रीन भवन प्रौद्योगिकी।

20. **सूचना एवं प्रौद्योगिकीः–** विभागों का आनलाईन कम्पयूटरीकरण, हिमस्वैन।

21. पर्यटनः– एशियन विकास बैंक में निवेश, प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति।

22.नागरिक आपूर्तिः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का कम्पयूटरीकरण, नाबार्ड के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण।

23.कला एवं संस्कृति विभागः– पुरातत्व एवं कला खोज नियम 1972 के अन्तर्गत 100 वर्ष पुराने मन्दिरों का रख रखाव, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, बहुउददेशीय सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण।

24. **युवा सेवा एवं खेल विभागः–** प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान का निर्माण, पंचायत युवा क्रीड़ा अवाम खेल अभियान, भवन निर्माण।

25. पर्वतारोहण विभागः– पर्वतारोहण, जल क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

26. स्वास्थ्य विभागः–

i) **एलोपैथीः–** ग्रामीण स्वास्थ्य, सामग्री एवं संभरण, पूंजीगत परिव्यय, संस्थान निर्माण पर व्यय, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, राष्ट्रीय एम्बुलैन्स सेवा, पी.जी. छात्रों को छात्रवृति।

ii) **आयुर्वेदाः–** आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, होम्योपैथिक केन्द्रो तथा संस्थान निर्माण पर व्यय।

iii) **चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधानः–** इन्दिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला, मैडिकल कालेज टांडा, हमीरपुर, नेरचौक, नाहन, चम्बा तथा डैन्टल कालेज शिमला के भवनों का निर्माण तथा मशीनों एवं उपकरणों का उन्नयन।

27. शहरी विकासः– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमन्त्री आवास योजना, सिवरेज योजना।

28. सूचना एवं जन सर्म्पक विभागः– डिश ऐन्टीना वितरण।

29. **भू– अभिलेख** :– भू–अभिलेख एजैंसियों का सुद्वढ़िकरण, कानूनगो, पटवार भवनों का निर्माण।

30. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षाः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सहायता अनुदान, नार्बाड के तहत् गोदाम का निर्माण आदि।

31. **होमगार्ड, कारागार, सतर्कताः–** अभियोजन विभागों के भवन का निर्माण।

32. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागः–**मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना, गृह निर्माण अनुदान, अनुवर्ती कार्यक्रम, अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार, कम्पयूटर प्रशिक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 का प्रचार प्रसार, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम1989 के अन्तर्गत पीड़ितों का राहत राशि, वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पैंशन, हि0 प्र0 अनुसूचित जाति एवं जन–जाति विकास निगम में निवेश, पढ़ाई के लिए व्याज मुक्त ऋण योजनायें।

33. **महिला एवं बाल विकास** :– समन्वित बाल विकास योजना, माता शबरी सशक्तिकरण योजना, सबला, मुख्यमन्त्री बाल उद्यार योजना, बेटी है अनमोल, जागरूकता कैम्प, विधवा पुर्न विवाह, विशेष महिला उत्थान योजना, महिला आयोग, बलात्कार पीड़ित को आर्थिक सहायता,मदर टेरेसा योजना, महिला विकास निगम, पोषाहार कार्यक्रम, आगनबाड़ी भवनो का निर्माण।

(ख). केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

(1) प्रधानमंत्री आदर्श ग्रम योजना(PMAGY) - Pilot phase (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna)

उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव का एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हें आदर्श गांव बनाना।

पात्रता केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव। प्रारम्भिक रूप में योजना **Pilot basis** पर 2010–11 से केवल जिला सोलन व जिला सिरमौर के 225 गांवो में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2018–19 से फेस–2 के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 117 जिलों में लागू की जा रही है और अभी तक 304 गांवो का चयन भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है।

सहायता **प्रदे**श के 529 गांवों (304+225) में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक चिन्हित गांव के विकास के लिये 20.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। चिन्हित गांवों में वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न

विभागों के माध्यम से स्वीकृत/कार्यान्वित योजनाओं को तीन वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रावधान है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, जिला कल्याण अधिकारी ।

(2) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(PMAGY) - II phase (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna)

उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या 500 से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हें आदर्श गांव बनाना।

पात्रता केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या 500 से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित गांव।

सहायता चिन्हित गांवों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं को 3 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक चिन्हित गांव के विकास के लिये 21.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी।

(2) छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना Scheme for Construction of Hostels for Boys/Girls

उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं/छात्रों को स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों में छात्रावास निर्माण करके छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाना है ।

पात्रता राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं स्वयसेवी संस्थाएं ।

सहायता

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निमार्ण हेतु राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को 3.25 लाख प्रति छात्र/ छात्रा की दर से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा स्वयं सेवी संस्थाओं/डीमड विश्वविद्यालयो को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।
- अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवास निमार्ण हेतु 50:50 (केन्द्र तथा राज्य सरकार) के आधार पर सहायता दी जाती है । राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों को 45:45:10 (केन्द्र : विश्वविद्यालय : राज्य सरकार) के आधार पर केन्द्र/राज्य

सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ।

- अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के छात्रावास निमार्ण हेतु 90:10 तथा छात्रों के छात्रावास के निर्माण हेतु 60:40 (केन्द्र तथा राज्य सरकार) के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

प्रक्रिया

संस्थान/संम्बन्धित विभाग/विश्वविद्यालय छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 को निम्नलिखित दस्तावेज सहित भिजवा सकते है :–

- संस्थान मे अनुसूचित जाति , जन जाति , अन्य पिछड़ा वर्गो तथा सामान्य जाति व कुल छात्र/छात्राओ की संख्या ।
- छात्रावास निर्माण हेतु चयनित भूमि संस्थान अथवा सम्बन्धित विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे होनी अनिवार्य है जिसकी जमाबन्दी की नकल व ततीमा, प्रस्ताव के साथ संलग्न हो ।
- साईट प्लान, नक्शा एवं प्राक्कलन।

सम्पर्क अधिकारी

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ सम्बन्धित उपायुक्त/ निदेशक शिक्षा/जिला कल्याण अधिकारी।

(3) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्व निःशुल्क सहायता योजना .

Free Coaching for SC and OBC Students

उद्देश्य

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों जिनके परिवार की वार्षिक आय 6.00 लाख रूपए से कम हो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग,राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप–ए तथा बी , स्टाफ सलैक्शन कमीशन, बैक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि के लिए विश्व विद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं को पूर्व परीक्षा केन्द्र संचालन के लिए सहायता प्रदान करना ।

पात्रता

विश्व विद्यालय, विख्यात संस्थान तथा निजी क्षेत्र में संस्थाएं ।

सहायता

- विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता अनुदान ।

- अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को विभिन्न परिक्षाओं के लिए निशुल्क अनुशिक्षण तथा 2500/–रू0 से 5000/–रू0 तक अनुशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा ।

प्रकिया केन्द्र संचालन हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार को निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है ।

सम्पर्क अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार (www.socialjustice.nic.in) निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी ।

(4) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना .

Top Class Education for Scheduled Castes Students

उद्वेश्य कक्षा 12वीं के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपए से कम हो तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित इन्जीनियरिंग , मैनेजमैन्ट, लॉ, मैडिसन इत्यादि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया हो।

सहायता पूर्ण टयुश्न फीस 2.00 लाख रू0 तक, 2220/– रू0 तक रहने का खर्च तथा 45000/–रू0 तक नवीनतम कम्पयूटर खरीदने के लिए सहायता ।

प्रकिया प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार को भेजे सकते हैं।

सम्पर्क अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार (www.socialjustice.nic.in)

(5) डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं

Dr. Ambedkar Foundation (www.ambedkarfoundation.nic.in)

उद्देश्य इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य बाबा साहिब बी0 आर0 अम्बेडकर की विचारधारा को जनता तक पहुचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमो, योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

(i). अनुसूचित जाति के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के मेधावी छात्रों हेतु डा0 अम्बेडकर_राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति योजना

Dr. Ambedkar Scheme for meritorious students of Secondary Examination belonging to SCs

पात्रता

- अनुसूचित जाति के छात्र जिन के परिवार की सभी स्त्रोतो से आय 1.00 लाख रू0 से अधिक न हो ।
- राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कुल मिला कर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त न किए हो ।
- मैडिकल, नॉन मैडिकल, कला, वाणिज्य परीक्षा में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्र पात्र होगे।

सहायता मैडिकल, नॉन मैडकल, कला, वाणिज्य के छात्रों को 40,000/– रू से लेकर 50,000/– रू0 तक छात्रवृति ।

प्रकिया उच्चतर माध्यमिक वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षा परिणाम की घोषण के 15 दिन के भीतर डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेज सकते हैं ।

सम्पर्क अधिकारी सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा वोर्ड धर्मशाला ।

(ii) डा0 अम्बेडकर मैडिकल एड स्कीम

Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme

उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घातक रोगों के ईलाज के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना ।

पात्रता अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रू से कम हो तथा गुर्दे

हृदय, लीवर, कैन्सर, मस्तिष्क से सम्बन्धित घातक रोग जिन में , घुटने, रीढ की हडडी का औपरेशन सम्मलित है, को वित्तिय सहायता दी जाती है ।

सहायता ईलाज पर 1.00 लाख रू0 से 3.50 लाख रू0 सम्बन्धित हस्पताल को दिया जाता है ।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज सहित सम्बन्धित उपायुक्त, संसद सदस्य, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से अपना केस भिजवा सकते है : – जाति, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार से सत्यापित हो, ईलाज के लिए प्राक्कलन जो सम्बन्धित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित हो ।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी

(iii) <u>डा0 अम्बेडकर सामाजिक समता योजना</u>

Dr. Ambedkar Samajik Samta Kendra Yojana

उद्देश्य युवकों तथा जनता के सशक्तिकरण हेतु लाईब्रेरी एवं वाचनालय, आडीटोरियम इत्यादि के लिए डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना ।

पात्रता सामान्य निकाय पंजीकृत संस्थाए/संघ इत्यादि ।

सहायता भवन निर्माण, मुरम्मत के लिए 10.00 लाख रू0 से लेकर 50.00 रू0 तक वित्तीय सहायता।

प्रक्रिया राज्य लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से तैयार किए गए प्राक्कलन सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से डा0 अम्बेडकर फाउडेशन को भेज सकते है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

(iv) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जातियों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना

Dr. Ambedkar Scheme for relief to the SC/ST victims of atrocities.

पात्रता घृणित अत्याचार (बलात्कार, हत्या तथा घर जलाने का अपराध)से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्ति जिन्होने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की हो।

सहायता 8.25 लाख रू0 तक राहत राशि ।

प्रक्रिया पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र जो सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित हों, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस के साथ दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति सहित जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से डा0 अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ नई दिल्ली –110001 को सीधे भिजवा सकते है ।

सम्पर्क अधिकारी डा0 अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ नई दिल्ली –110 001

(6) स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान योजना
Grant-in-aid to Voluntary Organisations

(i) अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु
Welfare of Scheduled Castes

उद्देश्य अनुसूचित जाति के शैक्षणिक एवं सामाजिक– आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन के कौशल उत्थान करके आय सृजित कार्यक्रम शुरू करने योग्य बना कर उन्हे आत्म निर्भर बनाना।

पात्रता सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वयं सेवी सस्थाएं जिनका पंजीकरण हुऐ 2 वर्ष पूरे हो गये हो , भारतीय रैड क्रास सोसाईटी तथा उसकी शाखाएं , पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट , इत्यादि जो किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिये कार्य न कर रहे हो।

सहायता स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु योग्य बनाने के लिये सेवाओं के विकास, कला तथा क्राफट केन्द्रों , आई0 टी0 आई0, बालवाड़ी , क्रैश , अस्पताल , मोबाईल डिस्पैन्सरी इत्यादि की स्थापना सरकारी कार्यक्रमों हेतु जागरूकता अभियान चलाने इत्यादि के लिये 90 प्रतिशत अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्धारा दिया जाता है।

प्रक्रिया सम्बन्धित संस्था को अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार को आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु

Welfare of Other Backward Classes

उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

पात्रता सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वयं सेवी सस्थाएं जिनका पंजीकरण हुऐ 2 वर्ष पूरे हुए हो, भारतीय रैड क्रास सोसाईटी तथा उसकी शाखाएं , पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट , इत्यादि जो किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिये कार्य न कर रहे हो।

सहायता आय सृजन कार्यक्रमों को शुरू करके इन समुदायो के व्यक्तियों को स्वयं रोजगार योग्य बनाने हेतु केन्द्रों , विकास सेवाओं को स्थापित करने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

प्रक्रिया सम्बन्धित संस्था को अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार को आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी।

(7) अल्पसंख्यक के अभ्यार्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना .

Free Coaching & Allied Scheme for the candidates belonging to Minority Communities

उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के अभ्यार्थियों जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो, उन्हे केन्द्रीय/राज्य सरकार के ग्रुप–ए , बी ,सी, तथा डी सेवाओं तथा अन्य समकक्ष पदों के लिए, रेलवे, बैंक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य तकनीकी व व्यवसायिक कोर्सो में प्रवेश पाने के लिए विश्व विद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से पूर्व परीक्षा केन्द्र संचालन के लिए सहायता प्रदान करना।

पात्रता विश्व विद्यालय, विख्यात संस्थान तथा निजी क्षेत्र में संस्थाए ।

सहायता

- विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 100 प्रतिशत वितीय सहायता अनुदान ।
- अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए निशुल्क अनुशिक्षण तथा 2000/–रू0 से 2000/–रू0 तक अनुशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा।

प्रक्रिया पूर्व परीक्षा केन्द्र संचालन हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अल्प संख्यक मन्त्रालय, भारत सरकार को निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी ।

(8) अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियो हेतु मैरिट कम मीन्ज बेसड छात्रवृति योजना .

Merit cum means based scholarship for students belonging to Minority Communities

उद्वेश्य अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के मेधावी विद्यार्थियों को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने हायर सैकेण्डरी /स्नात्कोतर स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा मान्यता प्राप्त व्यवासायिक एवं तकनीकी कोर्स मे प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया हो तथा जिनके परिवार/ संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम है। इस योजना के अर्न्तगत छात्रवृति धारक किसी अन्य योजना से छात्रवृति प्राप्त नही कर सकता ।

सहायता दस माह के लिए 500/'रू0 प्रति माह डेस्कालर , 1000/–रू0 प्रति माह होस्टलर को छात्रवृति तथा 20,000/रू वार्षिक तक कोर्स फीस ।

प्रक्रिया पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in

पर उपलब्ध है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश।

(9) अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना

Post Matric Scholarship to Students of Minorities Community

उद्देश्य अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने गत कक्षा मे 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा जिनके माता–पिता तथा संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपए या इससे कम हो ।

सहायता **छात्रवृति की मासिक दरें**

विवरण	छात्रावास में वास करने वाले	छात्रावास से बाहर रहने वाले
कक्षा 10+1 तथा 10+2 प्रवेश शुल्क, तथा शिक्षा शुल्क	वास्तविक आधार अधिकतम 7,000/–रू0 वार्षिक	वास्तविक , अधिकतम 7,000/–रू0वार्षिक
10+1 तथा 10+2 स्तर के तकनीकी / व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु पाठयक्रम /शिक्षण (शिक्षा शुल्क सहायक सामग्री सहित)	वास्तविक , अधिकतम 10,000/–रू0 वार्षिक	वास्तविक , अधिकतम 10,000/–रू0वार्षिक
प्रवेश शुल्क, तथा शिक्षा शुल्क निम्न समकक्ष /स्नातकोतर	वास्तविक , अधिकतम 3,000/–रू0 वार्षिक	वास्तविक , अधिकतम 3,000/–रू0 वार्षिक
शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए निवाह भत्ता		
10+1 तथा 10+2 स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु	235/– रू0 प्रति माह	140/– रू0 प्रति माह
तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम के अतिरिक्त निम्न समकक्ष /स्नातकोतर स्तर	235/– रू0 प्रति माह	185/– रू0 प्रति माह
एम फिल तथा पीएचडी शोधकर्ताओं को जिन्हें किसी अन्य संस्थान तथा विश्वविद्यालय से अध्येतावृति प्राप्त नहीं	510/– रू0 प्रति माह	330/– रू0 प्रति माह

हो रही है

प्रकिया पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा हि0 प्र0 विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश।

(10) अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना .

Pre Matric Scholarship to Students of Minorities Community

उद्देश्य अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के पहली कक्षा से दसवी कक्षा तक के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने गत कक्षा मे 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा जिनके माता–पिता तथा संरक्षक की वार्षिक आय 1. 00 लाख रूपए या इससे कम हो ।

सहायता

छात्रवृति की मासिक दरें

विवरण	छात्रावास में वास करने वाले	छात्रावास से बाहर रहने वाले
• दस माह के लिए निर्वाह भत्ता पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक	शुन्य	100/–रू0 प्रति माह
• प्रवेश शुल्क छठी कक्षा से दसवी कक्षा तक	वास्तविक शुल्क के आधार पर, अधिकतम 500/–रू0 वार्षिक	वास्तविक शुल्क के आधाार पर, अधिकतम 500/–रू0 वार्षिक
• दस माह के लिए निर्वाह भत्ता छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक	वास्तविक शुल्क के आधार पर, अधिकतम 600/–रू0 वार्षिक	वास्तविक शुल्क के आधार पर, अधिकतम 100/–रू0 वार्षिक
• टियुशन फीस छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक	वास्तविक शुल्क के आधार पर, अधिकतम 350/–रू0 प्रति माह	वास्तविक शुल्क के आधाार पर, अधिकतम 350/–रू0 प्रति माह

प्रक्रिया पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी।

(11) मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन

Maulana Azad Education Foundation

उद्देश्य शैक्षणिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, महाविद्यालयो ,व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मूलभूत शिक्षा सम्बन्धी ढ़ाचा स्थापित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाना।

पात्रता सभाऐं पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं , पंजीकृत ट्रस्ट इत्यादि।

सहायता स्कूल , होस्टल, कालेज, व्यवसायिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिये भवन निर्माण / भवन विस्तार, विज्ञान तथा कम्पयूटर लैब के लिए उपकरण तथा फर्नीचर खरीदने इत्यादि के लिये अनुदान ।

प्रक्रिया सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड़ नई दिल्ली www.maef.nic.in

(12) मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

Maulana Azad National Scholarship Scheme

उद्देश्य शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यतः कमजोर वर्गो के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है । जिसके तहत उन मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा तथा सहायता देना जो वित्तीय सहायता के

बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती है।

पात्रता राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी) से सम्बन्धित केवल लडकियां ही आवेदन कर सकती हैं। जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय /राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (दसवी कक्षा) परिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशित अकं प्राप्त किये हो तथा जिनके परिवार की सभी स्रोतों सहित वार्षिक आय 1.00 लाख रू0 से कम हो।

सहायता छात्र वृति की कुल राशी 12000/– है जिससे 6000/–की दर से दो बराबर किशतों में जारी किया जायेगा।

प्रकिया सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड़ नई दिल्ली www.maef.nic.in

****

भाग––2

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाऐं

(क) राज्य योजनाऐं

(1) वृद्धावस्था पैंशन योजना

Old age Pension Scheme

उद्देश्य बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक है तथा जिनकी देख रेख / पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा जिनके अव्यस्क बच्चे हो व जिनकी परिवार वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/–रू0 से अधिक न हो ।

सहायता 60 वर्ष से 69 वर्ष की आयु के पैंशनरों को 850/– रू0 प्रतिमाह
70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह

प्रकिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(2) दिव्यांग राहत भत्ता

Disability Relief Allowance

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/– रू0 से अधिक न हो। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रतिशतता प्रमाण –पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बहु– दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य है।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जाती है।

सहायता 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पैंशनरों को 1000/– रू0 प्रतिमाह
70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले पैंशनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह
70 वर्ष या इससे अधिक आयु के दिव्यांग पैंशनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(3) विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना

Pension Scheme for Widow/ Deserted / Single Women

उद्देश्य विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख / पालन–पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्र हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसी विधवा/परित्यकता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

सहायता 1000/– रू0 प्रतिमाह

70 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा पैंशनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(4). कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

Rehabilitation Allowance to Lepers

उद्देश्य कुष्ठ रोगिया सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता ऐसे कुष्ठ रोगियों को जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/ निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हों को कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जाता है। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागु नहीं है।

सहायता 850/– रू0 प्रतिमाह

70 वर्ष या इससे अधिक आयु कुष्ठ रोगियों को 1500/– रू0 प्रतिमाह।

70 वर्ष या इससे अधिक आयु के अपंग पैंशनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह

प्रकिया कुष्ठ रोगी को भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(5). <u>ट्रांसजैन्डर पैंशन योजना</u>

Transgender Pension Scheme

उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

पात्रता ऐसे ट्रासजैन्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रासजैन्डर पैंशन हेतु पात्र हैं।

सहायता 850/– रू0 प्रतिमाह।

70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ट्रांसजैन्डर पैन्शनरों को 1500/– रू0 प्रतिमाह।

प्रकिया

ट्रांसजैन्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण–पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ–पत्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताऐं अपने स्तर पर पूर्ण कार्रवाई की जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

****

(ख) केन्द्रीय योजनाऐं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पैंशन योजनाऐं

(1) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

उद्देश्य वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो ।

सहायता

- 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पैंशनरों को 1000/– रू0 प्रतिमाह (200/–रू0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 700/–रू0 राज्य हिस्सा)
- 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1500/–रू0 प्रतिमाह (500/–रू0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 1000/–रू0 राज्य हिस्सा)
- (प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से 80 वर्ष से अधिक आयु को प्रदान किये जा रहे लाभों हेतु आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष की गई है, जिसके दृष्टिगत 70 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के बीच जो पैंशनर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हे भी 1500/– रू0 प्रतिमाह पैंशन प्रदान की जा रही है जिन्हें भारत सरकार द्वारा 200/– रू0 प्रतिमाह केन्द्रीय हिस्सा तथा 1300/– रू0 राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्सा प्रदान किया जा रहा है ।)

प्रकिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पैंशन योजना

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

उद्देश्य दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता 18 से 79 वर्ष तक के अपंग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार के सदस्य हो ।

ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से 80 प्रतिशत या इस से अधिक गम्भीर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

सहायता 1500/–रू0 प्रतिमाह (300/– रू0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 1200/–रू0 राज्य हिस्सा)

प्रकिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(3) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना

(Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)

उद्देश्य विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार की सदस्य हो।

सहायता

- 1000/– रू0 प्रतिमाह (300/–रू0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 700/–रू0 राज्य हिस्सा)

- (प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से 80 वर्ष से अधिक आयु को प्रदान किये जा रहे लाभों हेतु आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष की गई है, जिसके दृष्टिगत 70 वर्ष से अधिक आयु की पैंशनर जो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हे भी 1500/– रू0 प्रतिमाह पैंशन प्रदान की जा रही है जिन्हें भारत सरकार द्वारा 200/– रू0 प्रतिमाह केन्द्रीय हिस्सा तथा 1300/– रू0 राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्सा प्रदान किया जा रहा है।)

प्रक्रिया

निर्धारित प्रपत्र पर पात्र विधवा को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र विधवाओं की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र विधवाओं की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र विधवाओं के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

****

भाग––3

दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं

क) दिव्यांगजन हेतु एकीकृत योजना 'असीम'

राज्य सरकार ने विकलांगजन के लिए वर्ष 2017–2018 मे 'असीम' नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना अधिसूचित की है। इस योजना के निम्न घटक हैं :–

(1) सर्वेक्षण, शीघ्र पहचान एंव अनुसधांन
SURVEY, EARLY DETECTION AND RESERCH

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता की प्रतिशतता, उनके आर्थिक व शैक्षणिक स्तर की स्थिति तथा अपंग राहत भत्ता व दिव्यांगता पहचान पत्रों से सम्बन्धित तथ्यों की सही जानकारी इत्यादि का आंकलन करना । इस के अतिरिक्त दिव्यांगता के कारणों का पता लगाने व दिव्यांगता निवारण के लिए अनुसंधान करना ।

पात्रता दिव्यांगता के शीघ्र निवारण हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा हर वर्ष 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों की चिकित्सा जांच की जा रही है। अनुसंधान हेतु विश्व विद्यालय, गैर सरकारी संगठन व अन्य संस्थाएं जिन्हे मामले में अच्छा ज्ञान हो, सहायता की पात्र होगीं ।

सहायता दिव्यांगता की शीघ्र पहचान व निवारण हेतु आवश्यक अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय/ स्वंय सेवी संस्थाओं को अनुदान व चिकित्सा शिविरों के आयोजन हेतु 2.00 लाख रू0 की धनराशि।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0।

(2) **जागरूकता अभियान**

AWARENESS GENERATION AND ORIENTATION

उद्देश्य दिव्यांगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं व **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम** के प्रावधानों का प्रचार। राज्य स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए बाधा रहित वातावरण के निर्माण व प्रशिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

पात्रता दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं/ दिव्यांग संघ/ दिव्यांगजन व साधारण जनमानस हेतु विभाग द्वारा जिला व ब्लाक स्तर पर जागरूकता कैम्पों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।

(3) **दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति**

Scholarship to Disabled Students

उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन।

पात्रता ऐसे दिव्यांग छात्र/छात्राएं जो सरकार द्वारा संचालित शैक्षिणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इस से अधिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई हो को बिना किसी आय सीमा के छात्रवृति प्रदान की जाती है।

सहायता पात्र छात्रों को निम्नलिखित मासिक दरों पर छात्रवृति उपलब्ध करवाई जाती हैः–

कक्षा	**दिवस छात्र (Day scholar)**	**छात्रावास में रह रहे छात्र**
पहली से पाचवीं तक	625/-	1875/-
छठी से आठवीं तक	750/-	1875/-
नवीं व दसवीं तक	950/-	1875/-
10 जमा एक व दो पोस्ट मैट्रिक कोर्स	1250/-	2500/-
डिप्लोमा कोर्स 10 जमा दो के बाद	1875/-	3750/-
बी0ए0/ बी0एस0सी0/ बी0 कॉम इत्यादि	1875/-	3750/-
एल0एल0बी0/बी0एड0 एम0ए0/एम0एस0ई0/एम0एड0/पोस्ट	2250/-	3750/-

ग्रेजूएट डिप्लोमा कोर्स एम0ए0 व एम0एस0सी0 के बाद		
बी0ई0/बी0टैक/एम0 बी0 बी 0 एस0	3750/-	5000/-

प्रक्रिया पात्र छात्र निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन सम्बन्धित पाठशाला/ संस्थान के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारियों को आय प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र , हिमाचली प्रमाण पत्र सहित भिजवा सकते हैं।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित शिक्षण संस्थान ।

(4) दिव्यांगो को विवाह अनुदान

MARRIAGE GRANT TO PERSONS WITH DISABILITIES

उद्देश्य शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह के लिए प्रेरित करना।

पात्रता 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त पुरूष / महिला से शादी करने वाले शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति अथवा आजीविका अर्जित करने योग्य अक्षम व्यक्ति ।

सहायता 40 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति से विवाह करने पर 25000/– रू0 तथा 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति से विवाह करने पर 50000/–रू0 की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यदि दम्पति दिव्यांग हो तो उन्हें भी उनकी दिव्यांगता अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रक्रिया अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारत प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी ।

(5)

दिव्यांगो को स्वः रोजगार

Self Employment to Disabled

उद्देश्य विकलांगों को स्वः रोजगार स्थापित करके आत्म–निर्भर बनाने हेतु ।

पात्रता ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1.60 लाख व शहरी क्षेत्रों में 2.00 लाख रू0 से अधिक न हो।

सहायता योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग मु0 10000/–रू0 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है ।

प्रक्रिया अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम अथवा सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम, जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

(6)

दिव्यांग बच्चों के विशेष गृह/ स्कूल

Special School/Home for Disabled Children

उद्देश्य दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नही कर सकते उन्हें शिक्षा/ व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

प्रक्रिया जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र , सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी/ सक्षम राजस्व अधिकारी से प्राप्त हिमाचली प्रमाण पत्र सहित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संस्थान को आवेदन करना होगा ।

सम्पर्क अधिकारी

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0, महासचिव हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद्, शिमला–02,सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

(7) पुरस्कार योजना

INCENTIVES TO BEST EMPLOYERS AND BEST PERFORMING PWDs

उद्देश्य

दिव्यांग को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना, उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकलांग जन को पुरस्कृत करना तथा उनमें आत्म सम्मान की भावना जागृत करना ।

पात्रता

निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक दिव्यांगो को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ता व दिव्यांगता की तीन श्रेणियों (दृष्टिहीन, मूकबधिर व अस्थिदोष) .में दिव्यांगता के वावजूद उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकलांगजन।

सहायता

तीन उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन को 30000 रू0 प्रति व निजी उद्यमी को 30000 रू0 का नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।

प्रकिया

प्रति वर्ष नामांकन विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई तिथि तक जिलाधीश/जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

(8) दिव्यांगता पहचान पत्र

Identity Card to Disabled

उद्देश्य

दिव्यांगो को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं / सुविधाओं के लाभ उठाने हेतु।

प्रकिया

- इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति को सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपनी चिकित्सा जांच करवानी होगी । जांच के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दो फोटो सहित आवेदन करना होगा तथा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इस अधिक दिव्यांगता के आंकलन की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।
- दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होगा जिसके साथ आयु प्रमाण पत्र, स्थाई पते का

प्रमाण तथा 20/–रू0(कार्ड का मुल्य) दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी /तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से जमा करवाना होगा।

विशिष्ट दिव्यांजन पहचान पत्र(Unique Disability Identification Card)

- UDID कार्ड हेतु आवेदन लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से या स्वयं http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application बेवसाइट पर आनलॉइन किया जा सकता है। आनलॉइन प्राप्त आवेदनो के सत्यापन हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ जिला चिकित्सा अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी /सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र।

(10) **राष्ट्रीय दिव्यांजन वित्त एवं विकास निगम**

National Disabled Finance and Development Corporation

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने व स्वः रोजगार स्थापित करने हेतु राज्य में हि0 प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (चैन्लाइजिंग ऐजेन्सी) के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना।

पात्रता ऐसे बेरोजगार हिमाचली दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो व जिनकी वार्षिक आय 3,00000/– रूपये (ग्रामीण क्षेत्र) एवं 5,00,000/– रू0 (शहरी क्षेत्र) से कम हो।

सहायता विभिन्न व्यवसाय स्थापित करने के लिए 25,00,000/–रूपये तक ऋण 5 से 8 प्रतिशत व्याज की दर पर उपलब्ध करवाना । दिव्यांग महिलाओं हेतु इस व्याज की दर में 1 प्रतिशत अतिरक्ति छूट का प्रावधान है।

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा जिस कार्य हेतु उसे अनुदान चाहिए का प्राकलन तथा जमानती दस्तावेज सलंग्न कर भिजवाने होते हैं।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से

सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ प्रबन्ध निदेशक, हि0 प्र0 अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम/ सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम

(11) National Programme for Rehabilitation of Persons with Disablities

उद्देश्य कम्यूनिटी बेसड रिहेब्लिटेशन वर्कर (सी0बी0आर0डब्ल्यू)नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन।

सहायता दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवा कर उन्हे पुनर्वासित करना।

कार्यक्रम जिला पुर्नवास केन्द्र हमीरपुर व कांगड़ा के माध्यम से अक्षम व्यक्तिओं के पुर्नवास के लिए विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है :–

- अक्षम व्यक्तियों की पहचान करके दिव्यांगता की रोकथाम एवं उपचार करना,
- विशेषज्ञ सेवायें (फिजिओथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, आडियोलोजिकल असेसमेन्ट) ऐडस एवं ऐप्लाएन्सीज (कृत्रिम अंग , श्रवण यन्त्र , व्हील चेयर इत्यादि) उपलब्ध करवाना,
- प्रशिक्षण , शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए परामर्श सेवायें प्रदान करना।

सम्पर्क अधिकारी परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगडा व हमीरपुर / जिला कल्याण अधिकारी कांगडा व हमीरपुर।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(1) सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लगवाने व खरीदने हेतु सहायता

Assistance to Disabled for Purchase of Aids and Appliances

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध करवा कर उन्हें पुर्नवासित करना ।

पात्रता योजना के संचालन हेतु निम्न लिखित ऐजेंसी अनुदान प्राप्त कर सकती हैः–

- सभाऐ पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था
- पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट
- भारतीय रैड–क्रास की शाखाएं
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

सहायता

- योजना के अन्तर्गत अधिकतम 10000/– रू0 तक के सहायक उपकरण (सुनने की मशीन , व्हील चेयर, ट्राई साईकल , कैलिपर , बैसाखियां, कृत्रिम अंग इत्यादि) उपलब्ध करवाना ।
- योजना अनुसार ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी मासिक आय 15000/– रू0 तक हो , को सहायक उपकरण बिल्कुल मुफत तथा जिनकी मासिक आय 15000/–रू0 से 20,000/–रू0 तक हो , को 50 प्रतिशत अनुदान पर सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- 20,000/– रू0 से अधिक मासिक आय वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पूरी कीमत पर सहायक उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं।

प्रक्रिया

सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को सम्बन्धित संस्था से सम्पर्क करना होगा जो आवश्यक सहायक उपकरण के लिये प्रार्थी का आकलन करवायेगी।आकलन उपरान्त प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से जारी करवाकर सम्बन्धित संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

सम्पर्क अधिकारी

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में निम्न संस्थाओं को भारत सरकार से समय–2 पर योजना संचालन हेतू अनुदान दिया गया है, जिनसे संपर्क किया जा सकता हैः–

1. रैडक्रास सोसाईटी किन्नौर/ मण्डी
2. डी0आर0डी0ए0 चम्बा/सोलन/बिलासपुर/हमीरपुर/शिमला/ कांगड़ा /सिरमौर
3. विकलांग उपकार केन्द्र ,नालागढ़ जिला सोलन
4. जिला विकलांगता पुर्नवास केन्द्र कांगड़ा/हमीरपुर/शिमला

(2) <u>दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना</u>

Deen Dayal Disability Rehabilitation Scheme

उद्देश्य

दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उन्हें पुर्नवासित करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न योजनायें चलाने के लिए प्रेरित करना।

पात्रता योजना के संचालन हेतु जो ऐजेंसी अनुदान प्राप्त कर सकती हैः–
(क) सभाऐ पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य सरकार के समतुल्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था (ख) पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट (ग) भारतीय रैड–क्रास की शाखाऐं, (घ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ।

सहायता अनुदान प्रस्ताव की 100 प्रतिशत राशि ।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी ।

(3) <u>विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र</u>

Composite Resource Centre for Persons with Disablities

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण , मानव संसाधन विकास एवं शोध कार्यो का आयोजन करना।

सहायता भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा सुन्दरनगर जिला मण्ड़ी में स्थापित क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास, विशेष शिक्षा, गांव स्तरीय बहुउद्देशीय पुर्नवास कार्यकर्ताओं/ अन्य सरकारी कर्मचारियों/ स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण सेवायें तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना ।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी मण्डी/ प्रभारी क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र, सुन्दरनगर ।

(4) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act,2016 (SIPDA)

उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्याकलापों विशेषकर विश्विद्यालयों, सार्वजनिक भवनों राज्य सरकार सचिवालयों, राज्य दिव्यांग आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधामुक्त वातावरण सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों / संगठनों को वितीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में निम्न ऐजेंसियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

- राज्य सरकार /राज्य विश्विद्यालय / सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संगठन।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय संस्थान / सी आर सी / डी डी आर सी इत्यादि।
- सरकार द्वारा स्थपित संगठन / संस्थान /मान्यता प्राप्त खेल कूद निकाय व परिसंघ।

सहायता महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने, राज्य व जिला स्तर पर बैबसाईटों को सुगम्यता बनाना, नए सी आर सी/ डी डी आर सी की स्थापना , दिव्यांगता से जुड़े मुददों पर सर्वे, जांच तथा अनुसंधान करने सहित दिव्यांगता के क्षेत्र में अनंसंधान तथा विकास गतिविधियों को बढ़ाना इत्यादि।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी मण्डी/ प्रभारी क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र, सुन्दरनगर ।

(5) <u>जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र</u>

District Disability Rehabilitation Centre (DDRC)

उददेश्य जागरूकता पैदा कर पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास व्यवसायियों के दिशा निर्देशन हेतु जिला स्तर पर अवसरंचना के सृजन एंव क्षमता निर्माण।

सहायता केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा डीडीआरसी को वित्तीय ढांचागत, प्रशासन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिससे कि वे सम्बन्धित जिलों में पुर्नवास सेवायें मुहैया कराने की स्थिति में हो।

कार्यक्रम जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र दिव्यांग व्यक्तिओं के पुर्नवास के लिए विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है :–

- दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण व पहचान करना
- दिव्यांगता से बचाव करने, शीघ्र पहचान करने हेतु जागरूता सृजन,
- दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न रियायतें व सुविधाएं प्रदान करना
- बाधा रहित वातावरण का निर्माण
- दिव्यांग व्यक्तियों की व्यवसायिक प्रशिक्षण के संवर्धन और नियोजन हेतु सहायक और अनुपूरक सेवाएं मुहैया करना।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले/सम्बन्धित उपायुक्त।

(6) मानसिक रोग से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति जो उपचार के बाद ठीक हो चुके है के पुर्नवास हेतु "हाफ वे होम योजना"।

Scheme for setting up of "Half Way Homes" in the state for

rehabilitation of persons who have been treated and fully recovered from Mental illness.

उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश में मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो उपचार के बाद ठीक हो चुके है और जिनकी मानसिक रोग चिकित्सालय/संस्थान से छुट्टी हो चुकी है तथा जो अपने परिवारजनों के साथ नहीं रहना चाहते है या परिवारजन उन्हें घर नहीं ले जाना चाहते हैं, उनके पुनर्वास हेतु "हाफ वे होम योजना" की स्थापना की गई है।

सहायता

राज्य सरकार से प्राप्त 90:10 की दर से सहायता–अनुदान की राशि द्वारा "हाफ वे होम योजना" का संचालन गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

कार्यक्रम

वर्तमान में दो "हाफ वे होम योजना" एक कुनिहार, जिला सोलन में महिलाओं के लिए, दूसरा नागचला, जिला मण्डी में पुरषों के लिए चलाए जा रहे है। इनमे मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो उपचार के बाद ठीक हो चुके है, उन्हें निम्न प्रकार से पुर्नवास सेवाऐं प्रदान की जा रही है:–

- सभी प्रकार से स्वास्थय सेवाऐं प्रदान करना।
- भोजन व ठहरने की पूर्ण सुविधा प्रदान करना।
- बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना।
- सफाई व स्वच्छता का वातावरण सुनिश्चित करना।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक मनोरंजन सम्बन्धि सुविधाएं प्रदान करना।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश/जिला कल्याण अधिकारी तहसील कल्याण अधिकारी।

****

भाग—4

वृद्धजनों के कल्याण हेतु योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

(1) **वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र**

(Identity Cards to Senior Citizens)

उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं / सुविधाओं का लाभ देने हेतु।

प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होगा जिसके साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, स्थाई पते का प्रमाण तथा 20/—रू0 (कार्ड की कीमत) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी /तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम जमा करवाने होंगे।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी /सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र।

(2) **वृद्धों के लिये एकीकृत योजना (वृद्धों के लिए आश्रम)**

An Integrated Schemes for Older Person (Homes for Older Persons)

उद्देश्य बेसहारा वृद्धों को आश्रय देना।

पात्रता 60 वर्ष से अधिक आयु के बेसहारा वृद्ध।

सहायता आश्रम में बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़ा तथा बीमारी की स्थिति में दवाईयां इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रकिया वृद्ध आश्रम में प्रवेश के लिए सादे कागज पर सम्बन्धित पंचायत की सिफारिश सहित सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन करना होगा।

प्रदेश में संचालित आश्रम प्रदेश में विभागीय अनुदान से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानो पर वृद्ध आश्रम चलाये जा रहे हैः–

(1) हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड शिमला वृद्ध आश्रम बसन्तपुर (शिमला)।
(2) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला वृद्ध आश्रम दाड़ी (धर्मशाला)।
(3) बल्ह वैली कल्याण सभा भगंरोटू : वृद्ध आश्रम भगंरोटू (मण्डी)।
(4) आदर्श एजूकेशन एवं कल्याण समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम कलाथ (मनाली)
(5) कचेन दुंग्याल मैमोरियल ओल्ड एजड सोसाईटी कीह (स्पिति) द्वारा संचालित वृद्धाश्रम कीह (स्पिति)।
(6) दी सुकेत सीनियर सिटीज़न होम, सुन्दनगर, मण्डी (इण्टरनेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित)
(7) मानव कल्याण सेवा समिति करल द्वारा संचालित वृद्धाश्रम चौपाल।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ,सचिव ,हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड / महा सचिव ,हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला / सचिव ,बल्ह वैली कल्याण सभा भगंरोटू (मण्डी), /प्रधान, आदर्श एजुकेशन एवं कल्याण समिति, कुल्लु/प्रधान, कंचेन दुग्याल मेमोरियल ओल्ड एण्ड सोसाइटी कीह/ प्रधान, दी सुकेत सीनियर सिटीज़न इण्टरनेशनल ट्रस्ट, सुन्दरनगर/सचिव, मानव कल्याण सेवा समिति करल चौपाल।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएंः

(1) समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम
(Integrated Programme for Senior Citizens)

उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आश्रय ,भोजन, स्वास्थ्य सुविधा तथा मनोरंजन इत्यादि की मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करवाना।

पात्रता पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थायें ,चेरीटेबल हस्पताल , पंचायती राज संस्थान /स्थानीय निकायें इत्यादि अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

सहायता इस योजना के अन्तर्गत वृद्ध आश्रमों, बहुउदेश्य सेवा केन्द्रों डे–केयर केन्द्रों मोबाईल केयर युनियटस हेल्प लाईनज इत्यादि के रख रखाव के लिए 90:10 में वित्तीय

सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

सर्म्पक अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार www.socialjustice.nic.in

(2) अन्नपूर्णा योजना

Annapurna Yojna

उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हे कोई भी पैन्शन न मिल रही हो,उन्हे अन्न सुरक्षा प्रदान करना है।

पात्रता 65 वर्ष से अधिक आयु बेसहारा व्यक्ति जिन की आय का कोई साधन न हो तथा बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हो व राज्य/केन्द्रीय सरकार से पैन्शन धारक न हो।

सहायता प्रति माह 10 किलो ग्राम खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हिमाचल प्रदेश।

भाग––5

अन्य कल्याण योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

(1) स्वयं सेवी सस्थाओं को अनुदान योजना

Grant-in-Aid Scheme to Voluntary Organisations

उद्देश्य कमजोर वर्गो के उत्थान हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध करवाना।

पात्रता

- सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या/ पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट ।
- संस्था कम से कम तीन वर्ष से अधिक सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर रही हो।

सहायता 90:20 अनुपात में अनुदान दिया जाता है।

प्रकिया पात्र संस्था निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज सहित आवेदन कर सकती हैः–

- संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- संख्या के उप–नियमों की प्रति।
- प्रबन्ध समीति सदस्यो की सूची।
- कर्मचारियों की सूची।
- गत वर्ष की अंकेक्षित तुलना पत्र।
- संस्था की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।
- गत वर्ष के अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र।
- सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी ।

(2) **<u>सुनिश्चित रोजगार के लिये योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना</u>**

<u>Skill Up-Gradation with Job/Placement (SUJOP Scheme)</u>

उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन असहाय अथवा परित्यक्त/विधवा महिलाएं नारी सेवा सदन, बाल–बालिका आश्रम के पूर्व आवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।

पात्रता हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गो से सम्बन्धित अभ्यार्थियों जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से **2**,00,000/–रूपये से कम हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड़/विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो व प्रस्तावित विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यतानुसार पात्र हों।

सहायता प्राधिकृत एवं चयनित संस्थानों के माध्यम से 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु 5000/– रूपये प्रतिमाह तक की फीस का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त रहन–सहन (Boarding & Lodging) के प्रावधान हेतु भी 5000/–रूपये तक की राशि प्रति प्रशिक्षा VII प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 1000/–रूपये की छात्रवृति तथा दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी को 1200/–रूपये प्रति माह छात्रवृति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणोंपरान्त 6 माह तक 1500/–रूपये की छ़ावृति तथा दिव्यांग अभ्यार्थियों को 1800/–रूपये की छात्रवृति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित प्राधिकृत संस्थान का यह भी दायित्व है कि वह प्रशिक्षण उपरान्त उद्योग/औद्योगिक इकाईयों में कम से कम एक वर्ष का रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे।

प्रकिया अभ्यार्थियों का चयन हेतु निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0 अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय मीडिया, रेडियो तथा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने उपरान्त नियमानुसार किया जाता है।

संपर्क अधिकारी निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0/जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी।

(ख) केन्द्रीय योजनाएं

(1) मादक द्रव्य तथा नशा निवारण के लिये योजना

Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance Abuse (Drugs)

उद्देश्य मादक द्रव्य तथा नशे के कुप्रभाव बारे जागरूकता लाना तथा कम्यूनिटी सर्विसस के अन्तर्गत काउन्सलिंग केन्द्र स्थापित करना।

पात्रता

- संस्था सहकारी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो या पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट हो।
- संस्था कम से कम तीन वर्ष से अधिक सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर रही हो।

सहायता केन्द्र सरकार द्वारा 90:10 अनुपात में पुर्नवास केन्द्रो, जागरूकता, नशानिवारण हेतु शिक्षा इत्यादि के लिये अनुदान दिया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार, निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0।

(2) राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम

National family Benefit Scheme

उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारो के मुख्य आजीविका कमाने वाले की मृत्यु होने पर एकमुश्त सहायता देना।

पात्रता गरीबी रेखा से नीचे रहे परिवारो के मुख्य आजीविका कमाने वाले परिवार के पुरूष अथवा महिला की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु मे होने पर 20,000/– की सहायता दी जाती है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित, खण्ड विकास अधिकारी , परियोजना अधिकारी/डी0आर0डी0ए0/ निदेशक, ग्रामीण विकासए जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी।

****

भाग—6

विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/ राज्य अधिनियम, कल्याण संस्थान, कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं नीतियां तथा दूरभाष नम्बर

(1) विभाग द्वारा कार्यन्वित केन्द्रीय/ राज्य अधिनियम

1. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1955।
2. नागरिक सुरक्षा नियम, 1977।
3. अनु.जाति/जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
4. अनु.जाति/जन जाति(अत्याचार निवारण) नियम, 1995।
5. हि0 प्र0 भिक्षा वृति निवारण अधिनियम, 1979।
6. हि0 प्र0 भिक्षा वृति निवारण नियम, 1980।
7. हि0 प्र0 माता पिता एवं आश्रित भरण पोषण अधिनियम, 2001।
8. परीवीक्षा अधिनियम ,1958।
9. दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016।
10. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017।
11. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999।
12. भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम ,1992।
13. हिन्दी में सूचना का अधिकार 2005।
14. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ।

(2) विभाग से सम्बन्धित कल्याण संस्थानों की सूची

- वृद्धाश्रम बसंतपुर (शिमला)
- वृद्धाश्रम दाड़ी (कांगड़ा)
- वृद्ध आश्रम भंगरोटु (मण्डी)
- वृद्धआश्रम कीह (स्पिति)
- वृद्धाश्रम क्लाथ (मनाली)
- दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्राओं के लिये गृह / स्कूल सुन्दरनगर (मण्डी)
- दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्रों के लिये गृह / स्कूल ढल्ली (शिमला)
- शारिरिक विकलांगता वाले वच्चों के लिये गृह , दाड़ी (धर्मशाला)
- मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये प्रेम आश्रम ऊना ।
- उड़ान संस्था शिमला ।

- आस्था वैलफेयर सोसाईटी नाहन (सिरमौर)
- पैराडाईज चिल्ड्रन केयर सैंटर चुवाड़ी (चम्बा)
- आदर्श एजुकेशन सोसाईटी कलाथ मनाली (कुल्लू)

(3) विभाग से सम्बन्धित कल्याण बोर्ड

समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिये तथा उनकी समस्याओं के निदान के लिये निम्न कल्याण बोर्डो का गठन माननीय मुख्य मन्त्री हि0 प्र0 की अध्यक्षता में किया गया है:–

1. हिमाचल प्रदेश लबाणा कल्याण बोर्ड।
2. हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड।
3. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड।
4. हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड।
5. हिमाचल प्रदेश कबीरपंथी कल्याण बोर्ड।
6. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड।
7 .हिमाचल प्रदेश विकलांग कल्याण बोर्ड।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड ।
9. हि0 प्र0 कोली कल्याण बोर्ड ।
10. हि0 प्र0 संत रविदास कल्याण बोर्ड।
11. हि0 प्र0 बाल्मीकी कल्याण बोर्ड ।
12. हि0 प्र0 केवट कल्याण बोर्ड ।

(4) विभिन्न कल्याण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार

1. व्योश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार
2. दिव्यांग व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार।
3. महावीर पुरस्कार।
4. कबीर पुरस्कार।

. (5) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियां

1. दिव्यांगो हेतु राष्ट्रीय नीति
2. वृद्धो के लिये राष्ट्रीय नीति।
3 दिव्यांगों हेतु राज्य नीति ।
4 वृद्धों हेतु राज्य नीति ।

(5) दूरभाष सम्पर्क

दूरभाष नम्बर	
निदेशालय (अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले हि0 प्र0)	
अधिकारी	दूरभाष नम्बर (कार्यालय)
निदेशक (अनु0 जाति0, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश ।	0177–2622041 फैक्स – 2629725 **WebSite URL :- www.himachal.nic.in/soma** **Email – Id : - social-hp@nic.in**
संयुक्त निदेशक, (प्रशासनिक), अनु0 जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश ।	0177–2620033
संयुक्त निदेशक (कल्याण) अनु0 जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश ।	0177–2623006
उप निदेश्क,(कल्याण), अनु0जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश ।	0177–2629736
संयुक्त/उप निदेशक (अनु0 जाति उप योजना)	0177–2620406
जिला कल्याण अधिकारी (मुख्यालय)	0177–2629736
सहायक नियंत्रक (वित एवं लेखा)	0177–2629713, 2622039
अनुसंधान अधिकारी (अनु0 जाति उप योजना)	0177–2620406

सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित अधिकारी	
अधिकारी	दूरभाष नम्बर) कार्यालय(
प्रबन्ध निदेशक ,हि 0प्र 0अनु 0जाति/जनजाति विकास निगम सोलन	220671-01792
प्रबन्ध निदेशक ,हि 0प्र 0अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ,शिमला	2622164-0177
प्रबन्ध निदेशक ,हि 0प्र 0पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ,कांगड़ा	264326-01892

जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी	
अधिकारी	दूरभाष नम्बर (कार्यालय)
जिला कल्याण अधिकारी, कांगड़ा	223132-01892
जिला कल्याण अधिकारी, मण्डी	222196-01905
जिला कल्याण अधिकारी, शिमला	2657026-0177
जिला कल्याण अधिकारी, सोलन	223742-01792
जिला कल्याण अधिकारी, चम्बा	222295-01899
जिला कल्याण अधिकारी, लाहौल–स्पिति	222993-01900
जिला कल्याण अधिकारी, किन्नौर	222049-01786
जिला कल्याण अधिकारी, हमीरपुर	222379-01972
जिला कल्याण अधिकारी, नाहन	222374-01702
जिला कल्याण अधिकारी, बिलासपुर	222204-01978
जिला कल्याण अधिकारी, ऊना	226056-01975
जिला कल्याण अधिकारी, कुल्लू	222281-01902